



आदेश

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी—

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन करने हेतु ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेंगे। यह बैंक खाता विद्यालय के नाम से खुलवाना होगा जिस नाम से QR कोड निर्गत किया गया है। यह बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाना होगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नामांकन हेतु आवेदन को विभाग द्वारा विद्यालय में नामांकन हेतु विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी नामांकन हेतु दिशा निर्देश को विद्यालय के द्वारा अनुपालन किया जाएगा। विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में उसके नामांकन का विस्तारित अवधि के बाद धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा। परंतु नामांकन के पश्चात अभिभावक को 3 महीने के अंदर छात्र का आधार कार्ड बनवाकर संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा की स्थिति में छात्र का नामांकन रद्द करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:—
 - (क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (ग) विद्यालय में अध्ययन कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए दक्ष कक्षा का संचालन करेंगे।
 - (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (ङ) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (ज) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एससीइआरटी और एनसीइआरटी एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेंगे।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
10. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
11. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

12. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा। विभाग/जिला प्रशासन के द्वारा जारी विद्यालय संचालन का समय/अवकाश के अनुसार ही विद्यालय संचालित किया जाएगा।

14. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।

15. आपके विद्यालय के पत्राचार पृष्ठ एवं छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोड संख्या, यू-डाइस कोड, विद्यालय किस ट्रस्ट/सोसाईटी के जरिए संचालित किया जा रहा है उसका नाम एवं विद्यालय का पूरा पता अंकित करना अनिवार्य होगा।

16. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा। साथ ही प्रतिवर्ष राज्य सरकार की पोर्टल ई-शिक्षाकोष एवं भारत सरकार की पोर्टल यू-डाइस पर विद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की विवरणी के साथ-साथ आधारभूत संरचना की विवरणी की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार दंड राशि का अधिरोपन या विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द किया जा सकता है।

17. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

18. विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था एवं बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं अनुलग्नक-1 में शेष निर्धारित मापदंडों को प्रस्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर पूरा करेंगे एवं संसूचित करेंगे।

19. अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न अन्य शर्तें विद्यालय को मान्य होगा।

20. किसी भी समय संशय/अस्पष्टता/ भ्रम की स्थिति में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मान्य होगा।

21. वैसे विद्यालय जो बिना **QR** कोड प्राप्त किया अर्थात गैर प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय है उसके संचालन पर तत्काल प्रभाव से कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2961 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा रोक लगाया जा चुका है। इसके बावजूद भी यदि विद्यालय संचालन करते हुए पाए जाते हैं तो जाँचोंपरांत उन्हें नोटिस निर्गत करते हुए उनके विरुद्ध **RTE ACT** 2009 की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रुपये का जुर्माना एवं पत्र निर्गत तिथि दिनांक 25.10.2024 से प्रत्येक दिन के लिए रु० 10,000 जुर्माना किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा -सह-सदस्य सचिव
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, वैशाली।

ज्ञापांक 1909 / हाजीपुर, दिनांक 05/05/2025

प्रतिलिपि: सभी अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक, निजी विद्यालय जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी गैर प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय जिला-वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि अनुपालन नहीं करने वाले विद्यालय पर कारवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक जिला-वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कंडिका 4 के आलोक में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय का क्यूआर कोड पर अंकित नाम से विद्यालय का खाता खोलने की कार्यवाही करना चाहिए।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा -सह-सदस्य सचिव

विद्यालय के लिए (अनुलग्नक-1)

(1) यह कि यह विद्यालय द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 एवं संगत नियमावली- बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011 एवं प्रस्वीकृति नवीनीकरण पत्र में उद्धृत निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(02) यह कि विद्यालय में प्रत्येक वर्ष अग्निशमन प्रमाणपत्र, जल एवं सफाई प्रमाणपत्र, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे तथा विद्युत सुरक्षा आदि की व्यवस्था/पुस्तकालय / विशेष बच्चों के रैंप आवश्यकतानुसार समुचित वर्ग कक्षा विकास/प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक एवं मामदंड के अनुसार सभी सुविधाएँ यथा पर्याप्त वर्ग कक्षा, सभी कमरे में पर्याप्त रोशनी एवं पंखों की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पर्याप्त मात्रा में उपस्कर की व्यवस्था ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(03) यह कि यह विद्यालय संबंधित स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। जिसका अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित है। बाल संरक्षण, परिवहन सुरक्षा, इको क्लब, आपदा प्रबंधन, कला संस्कृति, विद्यालय प्रबंधन समिति गठन करते हुए नियमानुसार बैठक की कार्यवाही ससमय पुरा कर लिया जाएगा।

(04) यह कि यह विद्यालय की भूमि गैर विवादित एवं विद्यालय संचालन के लिए लीज/किराया/विद्यालय के नाम है जो कम से कम 3 वर्ष या उससे आगे की अवधि तक के लिए है।

(05) यह कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग-1 में निर्धारित सीट के 25 प्रतिशत सीट अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसे ज्ञानदीप पोर्टल के द्वारा आवंटित बच्चों का ससमय नियमानुकूल निःशुल्क नामांकन एवं कक्षा 8 तक शिक्षण प्रदान किया जाएगा। अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के आवंटित बच्चों का नामांकन लेने से मना नहीं किया जाएगा अन्यथा विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी।

परिभाषा-

(अ) अलाभकारी (**NON BENIFICIARY-NB**)&**SC/ST/BC/EBC/Min** समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय एक लाख तक हो।

ब) कमजोर वर्ग (**WEAKER SECTION**) सभी समुदाय के बच्चे जिनके माता पिता की आय 200000 लाख से कम हो।

(06) विद्यालय साईन बोर्ड में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ग 01 में 25 प्रतिशत सीट पर विद्यालय द्वारा अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क नामांकन का अंकन कर लिया जाएगा। साथ ही विद्यालय के सभी दस्तावेजों में विद्यालय प्रस्वीकृति कोड एवं यू-डाइस अंकित कर दिया जाएगा।

(07) नामांकन-

(क) नामांकन हेतु विद्यालय द्वारा ससमय सूचना प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार एवं प्रखंड/जिला को सूचना दिया जाएगा।

(ख) विद्यालय के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आवंटित छात्र का नामांकन समान्य शुल्क रसीद पर शुन्य शुल्क अंकित किया जाएगा।

(ग) विद्यालय में वर्ग-01 में उपलब्ध 25 प्रतिशत सीटों के समतुल्य अथवा इससे कम आवेदन होने पर ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने हेतु अभिभावक को प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा।

(घ) अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों से कक्षा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क, **AC** एवं अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चों के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। समान्य बच्चों के तरह इन बच्चों को विद्यालय के सभी अभिलेखों/कक्षाओं में/प्रदर्शन में शामिल किये जाएंगे एवं इसके लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।



(ड) किसी भी स्थिति में किसी अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों एवं सामान्य बच्चों के कक्षा 1 में नामांकन हेतु कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया (यथा टेस्ट, साक्षात्कार आदि) अपनाई नहीं जाएगी अन्यथा इसे बच्चों के शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन जिम्मेवार होंगे।

08) सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय के नाम से अलग बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा एवं इस मद का अलग कैशबुक होगा जिसका प्रतिवर्ष विद्यालय वित्तीय ऑडिट कराया जाएगा।

(09) विद्यालय द्वारा कक्षा/पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार विद्यालय द्वारा सभी प्रकार का शुल्क का ब्यौरा विगत एवं वर्तमान वर्ष का ब्यौरा विद्यालय सूचना पट्ट एवं विद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा अपना वेबसाइट का निर्माण 3 माह में कर लिया जाएगा।

(10) पूर्व शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यालय द्वारा सभी प्रकार के शुल्क में अधिकतम 07 प्रतिशत तक की वृद्धि ही अनुमान्य होगा। इससे अधिक के विचारण हेतु शुल्क विनियमन समिति के समक्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के छः माह पूर्व उपस्थापित करना होगा।

(11) विद्यालय में कक्षावार पुस्तको की सूची, ड्रेस की विशिष्टियों एवं अन्य आपेक्षित सामग्री की सूची विद्यालय द्वारा वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ताकि अभिभावक सुविधा अनुसार कहीं से भी क्रय कर सकें। विद्यालय से अथवा स्थान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं रखी जाएगी अन्यथा विद्यालय प्रबंधन दण्ड के भागी होंगे।

विद्यालय सुरक्षा-संरक्षा

(12) विद्यालय में बालक/बालिका शौचालय अलग-अलग हो एवं विशेषकर बालिका शौचालय की देखभाल करने वाली महिला कर्मी एवं आवश्यकतानुसार विद्यालय परिसर में जगह-जगह पर अच्छे क्वालिटी का सी०सी०टी०मी० कैमरा लगाने का कार्य 3 माह में पुरा कर लिया जाएगा।

(13) विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मी का आचरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रत्येक 6 महीने में संबंधित कर्मी से प्राप्त कर विद्यालय में संधारण करना होगा, बिना आचरण प्रमाण पत्र के किसी भी कर्मी को विद्यालय में प्रवेश/नौकरी करने नहीं दिया जाएगा अन्यथा विद्यालय प्रबंधन इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(14) विद्यालय अन्तर्गत अपना या भाड़े अथवा किसी अन्य माध्यम से संचालित सभी तरह के वाहनों का फिटनेस,इंश्योरेंस तथा वाहन कर्मी व ड्राइवर का आचरण प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित थाने से करते हुए उनकी विवरणी का संधारण किया जाएगा एवं नजदीकी थाना को वाहन चालक एवं कर्मी का नाम, मोबाइल नंबर एवं आचरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कर दी जाएगी। प्रत्येक वाहन पर विद्यालय का नाम पता, विद्यालय का नंबर, नजदीकी थाना का नंबर, आपातकालीन सेवाएं का टोल फ्री नंबर अंकित कर लिया जाएगा अन्यथा विद्यालय प्रबंधन दण्ड के भागी होंगे।

(15) विद्यालय में अध्यनरत किसी भी छात्र को विद्यालय से बाहर भ्रमण करने हेतु ले जाने से पूर्व जिला कार्यालय को इसकी सूचना 7 दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के पश्चात ही विद्यालय बच्चों को भ्रमण हेतु विद्यालय से बाहर ले जा सकते हैं। बिना अभिभावक के सहमति के बच्चों को भ्रमण हेतु विद्यालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा एवं उनसे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनुमति मिलने के पश्चात नजदीकी थाना को जाने एवं आने की सूचना दी जाएगी अन्यथा विद्यालय प्रबंधन दण्ड के भागी होंगे।

उपर्युक्त सभी शर्तें एवं विभागीय नियम सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय, जिला-वैशाली को मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित विद्यालय की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं समग्र शिक्षा -सह-सदस्य सचिव
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति,वैशाली।